



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 648) पटना, मंगलवार, 23 जून 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

18 जून 2026

सं0 IV—के0वि0—12—17 / 2026—3737—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल शेखोपुरसराय, शेखपुरा में केन्द्रीय विद्यालय, शेखोपुरसराय, शेखपुरा के भवन निर्माण हेतु 04 एकड़ 56.74 डी0 भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

18 जून 2026

सं0 IV—के0वि0—12—17 / 2026—3737—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

The 18th June 2026

No.-IV—के०वि०—12—17/2026-3737—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the registration fee, chargeable on registration of lease document related to transfer of 04 acres 56.74 Dismal of land for construction of Kendriya Vidyalaya, Sheikhopursarai, Sheikhpura building at Sheikhopursarai, Sheikhpura for 30 (Thirty) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,
AJAY YADAV,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 648-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>